(41)

RP-7255
7-9-15

समक्ष :— माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

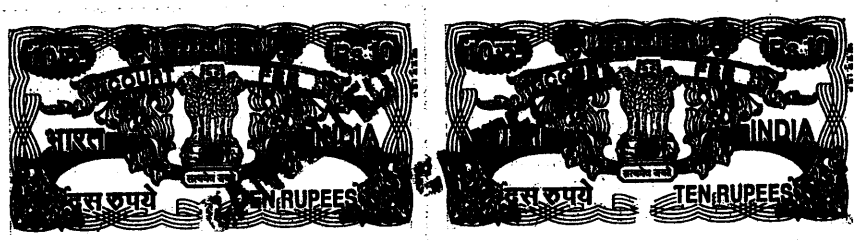

निग0 3036-III/15

सुरजन सिंह आयु 44 साल आत्मज स्व.श्री अयोध्या सिंह साकिन बण्डी कला, पो.बेम्हौरी,थाना धनपुरी,तह. बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0 ——————————————————पुनरीक्षण कर्ता

कार्यालय कलेक्टर शहडोल(म.प्र.)
28 AUG 2015
शाखा ....
अधीक्षक

बनाम

म.प्र.शासन ——————————————————————अनावेदक

कलेक्टर

श्रीमान् राजस्व निरीक्षक मण्डल बुढ़ार (श्री भुवनेश्वर सिंह मोंगरे) तहसील बुढ़ार जिला शहडोल म.प्र. के ग्राम बुढ़ार ज0नं0 739 प.ह. बढ़ार क्रमांक 18, रा.नि.मं. तह. बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0

विषय : रा.प्र.क्र. 35/अ 12 /2014—15 सुरजन सिंह बनाम म. प्र.शासन में पारित आदेशदिनांक 19.07. 2015 के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959.

मान्यवर,

निवेदन है कि पुनरीक्षणकर्ता ने ग्राम -- बुढ़ार ,ज.नं. --739 प.ह. रा.नि.मं.,एवं तह. --बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0 स्थित भूमि ख.नं. 122/1 ,123,124,125/1क/1, 126/3क 1, 131/1, 132/1क1 /क, 138/1ख के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक मण्डल बुढ़ार, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल म0प्र0 के समक्ष आवेदन दिनांक 05.02.2015 प्रस्तुत किया, जिस पर राजस्व निरीक्षक 03.04.2015 को प्रकरण लेते हुए 13.04.2015 की तिथि नियत की।

9
28.8.15

क्रमांक 6761 ... आज
रजिस्टर्ड पोस्ट ... को प्राप्त
दिनांक ... 8.9.15
क्लर्क ऑफ कोर्ट ग्वालियर
राजस्व ...

13.04.2015 के लिए कुछ लोगों को सूचना जारी किया आवेदक से एक छपे छपाए मौका पंचनामा प्रपत्र पर यह कहते हुए हस्ताक्षर कराया कि कानूनन इसकी आवश्यकता पड़ती है अभी समय नहीं है बाद में लिख लेंगे, आवेदक ने अधिकारी के प्रभाव में आकर अपना सीमांकन हो जाने की उम्मीद में हस्ताक्षर किया, किन्तु नियत दिनांक को राजस्व निरीक्षक ने कोई सीमांकन नहीं किया और ऐसा पता चलता है कि नियत दिनांक के अगले दिन 14.04.2015 को सीमांकन की कार्यवाही ...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र.नि.3036–तीन/15 जिला–शहडोल

सुरजन सिंह/ शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
17.01.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	